फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

ग्राम पंचायत लांका बनाम लैण्ड रिकॉर्डस अधिकारी वगै0

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र इन्द्राज दुरूस्ती   मु0नं0–   87/2022

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/11/2025	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वाके ग्राम लाका तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में ग्राम की आबादी के विस्तार के लिए भूमि की आवश्यकता को देखते हुए श्रीमान जिला कलक्टर महोदय दौसा ने भूमि खसरा संख्या 635 में से 2 बीघा भूमि का आबादी विस्तार के लिए आवंटन किया था। जिसके नये खसरा नंबर 634 बनाये गये है। उक्त खसरा संख्या 634 ग्राम की मुख्य आबादी भूमि से काफी दूर स्थित है जिस पर कोई आवास या आबादी स्थित नहीं है। उक्त नक्शा बन्दोबस्त के दौरान गलत बनाया गया है जबकि पूर्व से बनी हुई आबादी के हाल खसरा नम्बर 289 के सटवा पूर्व दिशा में पास भी खसरा नम्बर 635 की ही भूमि स्थित है। इसलिए उक्त आवंटित खसरा नम्बर 634 का स्थान परिवर्तन करके नक्शासीट में स्थान की दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौके पर आबादी अनुसार दुरूस्ती की जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बहरावण्डा से प्रकरण में जवाब तलब किया गया, तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपने जवाब में यह अंकित किया गया है कि ग्राम लाका के गत खसरा नम्बर 415 रकबा 265–11 बीघा किस्म चारागाह में से नामान्तकरण संख्या 688 से 415/2 रकबा 2 बीघा सवाई चक किस्म गै0मु0 आबादी में दिनांक 24.04.1993 को स्वीकृत हुआ। उक्त आवंटित खसरा नम्बर की नक्शा लठ्ठा में तरमीम तत्संवत नहीं की गई, सेटलमेण्ट के दौरान खसरा नम्बर 415/2 के नवीन खसरा नम्बर 634 रकबा 0.50 कायम हुआ। एवं नवीन नक्शा में खसरा नम्बर 634 की तरमीम कायम की गई। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर व मौका एवं अभिलेखीय जांच करने पर पाया गया है कि वर्तमान तरमीम मौका अनुसार सही नहीं है। उक्त मौके पर मकानात बने हुए है। वर्तमान में खसरा नम्बर 634 की तरमीम के स्थान पर प्रस्तावित तरमीम किया जाना उचित है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान किया एवं निवेदन किया कि आबादी हेतु आवंटित भूमि की तरमीम सैटलमेण्ट को आबादी जिस प्रकार मौके पर स्थित है उसी अनुसार नक्शाशीट मे करनी चाहिए थी लेकिन मौका अनुसार तरमीम नहीं की गई हे जो कि तहसीलदार की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है इसलिए मौका अनुसार तरमीम किए जाने के आदेश प्रदान किए जावे। बहस का ध्यानपर्वूक मनन किया गया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

गया। तहसीलदार बहरावण्डा की रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि साबिक नक्शाशीट में विवादित भूमि की तरमीम नहीं थी एवंज ब नवीन सिरे से तरमीम की गई तो मौका अनुसार तरमीम नहीं की गई जिसे नियमानुसार दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 634 वाके ग्राम लाका की तरमीम मौका अनुसार करने के आदेश तहसीलदार बहरावण्डा को दिए जाते है। जवाब स्टेट निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार उपरोक्तानुसार पालना करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा